न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक
श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त
गणेशलाल पुत्र श्री बाबुलाल, जाति– रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराहा, चवरली, तह. पिण्ड़वाडा, जिला–सिरोही

F.S.S.Act Case No. 66/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः प्रतिवादी गणेशलाल

–: निर्णय :– **दिनांक 06 जनवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरूद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 20–2–2025 को मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराहा, चवरली, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता श्री गणेशलाल पुत्र श्री बाबुलाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) का नमूना संख्या S-2553 निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्याः 749F/FSSA/2025 दिनांक 11–7–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 06–01–2026 को प्रतिवादी गणेशलाल पुत्र श्री बाबुलाल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जबाव प्रस्तुत किया। प्रकरण में आज ही प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी गणेशलाल ने अनुरोध किया कि मेरी होटल से पनीर का सेम्पल लिया गया था जिसकी जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। मेरे द्वारा पनीर शिव गंगा डेयरी फार्म, कासिन्द्रा से जरिये बिल संख्या पी.आई.एन. 0367/24–25 दिनांक 20–2–2025 को खरीद किया था। मेरे द्वारा पनीर में कोई मिलावट नही की गई है। अतः मुझे इस मुकदमें से मुक्त किया जावे।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 20–2–2025 को समय 01–15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराहा, चवरली, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर प्रोपराईटर व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी गणेशलाल पुत्र श्री बाबुलाल उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराहा, चवरली के निरीक्षण के दौरान मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव के अन्दर एक डिप फ्रिज में भिगोने में लगभग 3 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) आमजन के खाद्य सामग्री बनाने के उपयोग हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी चन्दनदास, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराहा के अन्दर एक डिप फ्रिज में भिगोने में रखे हुए खाद्य पनीर (लुज) लगभग 3 किलोग्राम में से 01 (एक) किलोग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच, एक साफ, सूखे, खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/– (रुपये चार सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता गणेशलाल पुत्र श्री बाबुलाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने प्रतिवादी विक्रेता गणेशलाल व गवाह को चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक बोतलें दिखाकर, एवं खरीदशुदा पनीर को हिलामिलाकर इन चारों साफ, सूखी व खाली बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में डाला एवं चारों नमूना बोतलों में 20–20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों नमूना बोतलों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2553, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता गणेशलाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर की चारों बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर की चारों नमूना बोतलों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता गणेशलाल एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मवीर ने कब्जे/जाप्ते में लिया व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता गणेशलाल व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीव्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 24–02–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर VI का एक सील बन्द लिफाफा, श्री मयंक कुमार जैन, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 20–2–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराहा, चवरली में प्रतिवादी विक्रेता गणेशलाल पुत्र श्री बाबूलाल से खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जयपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2553 की प्राप्त जांच रिपोर्ट

......पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

क्रमांकःL.S./634/Act/2025/747 दिनांक 12—3—2025 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2553, अमानक (Sub-standard) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ, लेबोरेटरी, जयपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रतिवादी गणेशलाल पुत्र श्री बाबुलाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव को प्रेषित की गई। जिस पर प्रतिवादी ने खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2553 के द्वितीय भाग की जांच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से करवाये जाने हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2553 के द्वितीय भाग को विश्लेषण जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुरु को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुरु द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्याः749F/FSSA/2025 दिनांक 11—7—2025 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2553, अमानक (sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी गणेशलाल पुत्र श्री बाबुलाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौरहा, चवरली, तहसील— पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) (नमूना संख्या S-2553) का विक्रय करके उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (नमूना संख्या S-2553) के विक्रय हेतु गणेशलाल पुत्र श्री बाबुलाल, जाति— रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराहा, चवरली, तह. पिण्ड़वाडा, जिला—सिरोही पर राशि रुपये 35,000/— (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी गणेशलाल पुत्र श्री बाबुलाल को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 06 जनवरी, 2026 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही